

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1980
शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण

1980. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार में किए गये भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण/मानचित्रण के जिले-वार ब्यौरे, विशेषकर जहानाबाद और अरवल जिलों में क्या है; और
- (ख) बिहार में भूकंप-रोधी भवनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं ?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

- (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए भारत के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार बिहार राज्य के अन्तर्गत क्षेत्र तीन जोन में आते हैं अर्थात् जोन V, IV तथा III । तीव्रता (संशोधित मरकैली स्केल) के संदर्भ में इन जोन का विवरण नीचे दिया गया है:

जोन V	बहुत उच्च-जोखिम जोन (तीव्रता IX या अधिक)
जोन IV	उच्च जोखिम जोन (तीव्रता VIII)
जोन III	मध्यम जोखिम जोन (तीव्रता VII)

निम्न तालिका में बिहार राज्य के भूकम्पीय क्षेत्रीकरण का जिला वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है: जेहानाबाद जिला जोन III एवं IV में है, जबकि अरावल जोन III में है।

क्र.स.	शहर	भूकम्पीय जोन
1	अररिया	IV एवं V
2	अरवल	III
3	औरंगाबाद	III
4	बांका	III एवं IV
5	बेगुसराई	IV
6	भागलपुर	IV
7	भोजपुर	III एवं IV

8	बक्सर	III
9	दरभंगा	IV एवं V
10	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	IV एवं V
11	गया	III
12	गोपालगंज	IV
13	जमुई	III एवं IV
14	जेहानाबाद	III एवं IV
15	कैमूर (भबुआ)	III
16	कटिहार	IV
17	खगरिया	IV
18	किशनगंज	IV एवं V
19	लखीसराय	IV
20	माधेपुरा	IV एवं V
21	मधुबनी	V
22	मुंगेर	IV
23	मुजफ्फरनगर	IV
24	नालंदा	III एवं IV
25	नवादा	III एवं IV
26	पटना	III एवं IV
27	पूर्णिया	IV
28	रोहतास	III
29	सहरसा	IV एवं V
30	समस्तीपुर	IV
31	सारण	IV
32	शेखीपुरा	IV
33	शिवहर	IV एवं V
34	सीतामढ़ी	IV एवं V
35	सिवान	III एवं IV
36	सुपौल	V
37	वैशाली	IV
38	पश्चिमी चम्पारण	IV

(ख) एनडीएमए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक वर्ष भूकम्प के प्रति नियमित जागरुकता अभियान संचालित करता आ रहा है, इसमें भवनों को भूकम्प से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो, भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद तथा आवास एवं शहरी विकास निगम आदि ने भी भूकम्प के कारण होने वाले जान-माल की क्षति कम करने के लिए भूकम्प रोधी ढांचे की डिजाइन एवं निर्माण के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। भूकम्प

सम्भावित क्षेत्रों में भूकम्प रोधी ढांचों की डिजाइन एवं निर्माण हेतु जिम्मेदार लोक एवं प्रशासनिक प्राधिकरणों के बीच में ये दिशानिर्देश व्यापक प्रसार में हैं।
